>

Title: Regarding 1961 Land allotment in Andaman.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि कालापानी की बात है इसलिए थोड़ा समय चाहिए। पोर्टब्लेयर शहर के दक्षिण अंडमान के परतापुर गांव की कहानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहानी मत बोलिए। कृपया विषय बोलिए।

श्री विष्णु पद राय : यह घटना दर्द भरी है। दर्द भरा अभियोग इस सरकार के ऊपर में है। इस अभियोग में कहा है कि करीब 80 साल पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पैनल सेटलमेंट में अंडमान के लोगों को बैठाया गया जिसे हम लोग प्री-42, सैटलर्स कहते हैं। यह जब वहां बैठाया गया था, पटवारी नहीं था, उनको कहा गया कि यह तुम्हारा जंगल है, यह पहाड़ है, यहां बैठ जाओ। वह जमीन पर बैठ गया। जब सरकारी पट्टा बना, रिकार्ड बना तो देखा गया कि रिकार्ड में जमीन कम है और ज्यादा जमीन कब्जा में है। परिणाम स्वरूप एक्सेस लैण्ड हो गया। भारत सरकार ने उनकी मांग पर डिमांड स्कीम बनाया। अंडमान के चीफ कमीशनर महोदय ने 28.05.1966, 31.12.1961 में जो लोग इस परिवार के थे, मतलब प्री-42 सैटलर्स से संबंधित थे, जितना जमीन एक्सेस होगा, जमीन को रेग्युलराइजेशन किया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि इन को छोड़ दिया गया। उसके बाद 17 अगस्त, 1990 में फिर सरकार ने फैसला किया कि जमीन छूट गया। उन परिवारों के लिए कट ऑफ डेट दिसम्बर, 1978 तय किया गया। अंडमान के जो लोग हैं उनको मालूम नहीं था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आफिशियल्स हैं, उन शेरों को कितना दाना-पानी देना है। वे दाना-पानी जानते नहीं थे। वे कहते थे कि हम भूमिपूत्र हैं। हम धरती के बेटे हैं। हमें जमीन का पट्टा और लाइसेंस मिलेगा। उन्होंने घूस नहीं दिया। उन्होंने दाना-पानी नहीं दिया तो उनके जमीन को पट्टा नहीं मिला। उसके बाद पतरापुर गांव के लोग 17 जुलाई, 1995 में आवेदन किया। फिर एक कमेटी आयी।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार से आप क्या चाहते हैं?

श्री विष्णु पद राय : सर, एक मिनट, सरकार सुनेगी तब न। सरकार का कान तो बहरा हो गया। इसके बाद इन्होंने मांग किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के लोगों का नाम मैं सुनाऊंगा - श्रीमती प्रेम कुमारी, श्री जीवन लाल, श्री हरिश दत्त, श्री फिलिप सैम्यूअल यह अंडमान, मिनी इंडीया का स्वरूप है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। एनडीए गवर्नमेन्ट की सरकार आई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सरकार को दिशा दिखाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अर्बन एरिया में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो लोग पुराने जमाने के थे उनको प्री-पैनल सेटलमेंट के लोग कहते हैं, वह जमीन जो अधिक मात्रा में थी उनको बिना प्रिमियम रेग्युलराइजेशन किया। उसके बाद यह सरकार भेदभाव करती है। अंडमान निकोबार में 1078 केसेज का फैसला हुआ था जो सिक्सटी वन सर्वे के पहले अंडमान के अर्बन एरिया में था उनको पट्टा दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप कहानी मत कहिए। आप संक्षेप में कहिए।

श्री विष्णु पद राय : महोदय, मैं एक मिनट समय लूंगा। कांग्रेस सरकार ने आपस में बांटा कि कौन वर्ष 1942 के पहले आए और कौन बाद में आए। 1078 केसेज में से 500 केसेज कर के छोड़ दिया गया। भेदभाव हटा है। अर्बन एरिया में अटल बिहार वाजपेयी सरकार जो कानून पास किया था एनडीए के समय में उस पर अमल करे। मेरी आखिरी मांग है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्री-42 परिवार, 1950 में ईस्ट बंगलो रिफजीज, तमिल श्रीलंकन, कचल श्रीलंकन रिसैटलर्स लोग अंडमान धरती पर आए। उनका जमीन भी एक्सेस लैण्ड है। मेरी सरकार से मांग है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी प्री-42 हों, सैटलर्स हों, तमिल श्रीलंकन हो या कचल श्रीलंकन्स हों सारे परिवार के एक्सेस लैंड को रेग्युलराइज कर के बिना प्रिमियम जमीन दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है।